न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी श्री बृजेन्द्र मीना, आर.ए.एस.

मु.न.	तारीख रजु	तारीख निर्णय
07/2025	12/03/2025	२९·५·२६

1. उम्मेद लाल पुत्र झूत्याराम जाति कोली निवासी ग्राम ढहरिया तहसील नादौती जिला करौली।
2. महेन्द्र पुत्र प्रकाश जाति हरिजन निवासी पदमपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली।

--वादीगण--

बनाम

1. बनवारी पुत्र रामस्वरूप जाति कोली निवासी वाढ टटवाडा तहसील तलावडा
2. भगवानदास पुत्र रामस्वरूप जाति कोली निवासी वाढ टटवाडा तहसील तलावडा
3. सुरेन्द्र पुत्र रामस्वरूप जाति कोली निवासी वाढ टटवाडा तहसील तलावडा
4. गुडडो पुत्री रामस्वरूप जाति कोली निवासी वाढ टटवाडा तहसील तलावडा
5. शीला पुत्री रामस्वरूप जाति कोली निवासी वाढ टटवाडा तहसील तलावडा
6. सुमन पुत्री रामस्वरूप जाति कोली निवासी वाढ टटवाडा तहसील तलावडा
7. सीता पुत्री रामस्वरूप जाति कोली निवासी वाढ टटवाडा तहसील तलावडा
8. कमला देवी पत्नि रामस्वरूप जाति कोली निवासी वाढ टटवाडा तहसील तलावडा
9. लैण्डहोल्डर जरिये तहसीलदार तहसील तलावडा

--प्रतिवादीगण--

दावा बाबत् विभाजन भूमि व स्थाई निषेधाज्ञा

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 17:07:45 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितः– श्री सतीश कुमार शर्मा एडवोकेट वादीगण की ओर से
श्री छुटटनलाल बैरवा एडवोकेट प्रतिवादीगण 1 ता0 9 की ओर से

निर्णय

वादीगण ने यह वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि आराजी हाल खसरा नं0 18 रकबा 2.20 हेक्टर, 19 रकबा 0.11 हेक्टर,

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स0मा0)

29 रकबा 0.62 हेक्टर, वाके ग्राम वाढ टटवाडा तहसील तलावडा की खातेदारी की भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 के नाम सयुक्त रूप से दर्ज है। पक्षकारान भूमि में दर्ज अपने हिस्से अनुसार भूमि से लगातार लाभान्वित होते चले आ रहे है। विवादित भूमि में वादी संख्या 1 का हिस्सा 84/293 एवं वादी संख्या 2 का हिस्सा 84/293 तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 का प्रत्येक का हिस्सा 125/2344 है। पक्षकारान ने मौके पर भूमि का विभाजन कर रखा है। तथा इसी प्रकार अपने हिस्से पर काबिज है। पिछले कुछ समय से पक्षकारान नें भूमि को लेकर विवाद होने लगे तथा इसका कारण पूछने पर दिनांक 10.01.2025 को प्रतिवादीगण ने कहा कि हम मौखिक विभाजन को नही मानते है। यदि तुम्हे भूमि काश्त करनी है तो रिकॉर्ड में भूमि का विभाजन करवाकर अपना खाता प्रथक कर लों। तथा अपनी भूमि को काश्त करों। इस पर वादीगाण ने कहा कि अगर एसी बात है तो तहसील में चलकर भूमि का सहमती से विभाजन करवा लेते है। इस पर प्रतिवादीगण नें धमकी देकर कहा कि हम कहीं नही जाएँगे भूमि हम तो अपने हिस्से की काश्त कर रहे है तुम्हे यदि अपने हिस्से की भूमि काश्त करनी है तो तुम स्वंय ही अपना हिस्सा अलग करवा लो। इसलिए वादीगण को यह दावा भूमि विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ प्रतिवादीगण द्वारा मौखिक विभाजन को मानने से तथा सहमति से विभाजन करने से इनकार करने पर यह वाद कारण उत्पन्न हुआ। अत: विवादित भूमि हाल खसरा नं0 18 रकब 2.20 हेक्टर, 19 रकबा 0.11 हेक्टर, 29 रकबा 0.62 हेक्टर, वाके ग्राम वाढ टटवाडा तहसील तलावडा का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर मौके पर कब्जे के अनुसार विभाजन किया जाकर वादीगण का खाता अलग से कायम किया जावें। आवश्यकता हो तो प्रथक से खसरा नम्बर कायम किये जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वे वादीगण को उनके हिस्से व खातेदारी की भूमि के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा ना तो स्वंय करे न किसी अन्य से करावे।

दावा दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 17:07:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
एवं ... मजिस्ट्रेट
... (अ०जा०)

प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 की ओर से श्री छुट्टनलाल एडवोकेट उपस्थित हुयें प्रतिवादी संख्या 9 तहसीलदार तलावडा के प्रतिनिधी उपस्थित हुये । प्रतिवादी संख्या 8 का नाम हजब का प्रार्थना पत्र पेश होने पर नाम हजब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नं0 18 रकबा 2.20 हेक्टर, 19 रकबा 0.11 हेक्टर, 29 रकबा 0.62 हेक्टर, वाके ग्राम वाढ टटवाडा तहसील तलावडा का वादीगण एवं प्रतिवादीगण को सरस नरस व मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बटवारा किया जावे।

वाद पत्र के समर्थन में वादीगण ने नकल जमाबंदी सम्वत् 2071-74 खाता संख्या 9 ग्राम वाढ टटवाडा प्रस्तुत किये है।

वादीगण का दावा तहसीलदार तलावडा से विभाजन स्कीम मंगवाये जाने हेतु दिनांक 28/01/2026 को प्राथमिक डिक्री किया गया। तहसीलदार तलावडा से दिनांक 22/04/2026 को विभाजन स्कीम निम्न अनुसार प्राप्त हुई :-

1. महेन्द्र पुत्र प्रकाश हरिजन खसरा नम्बर 18 रकबा 0.84 है0 जाति हरिजन निवासी पदमपुरा तहसील टोडाभीम सा0देह0 खातेदार
2. उम्मेदलाल पुत्र झुत्याराम कोली खसरा नम्बर 18 रकबा 0.84 है0 जाति कोली निवासी ढहरिया तहसील नादौती सा0देह0 खातेदार
3. कमलादेवी पत्नि रामस्वरूप हिस्सा 1/8, बनवारी पुत्र रामस्वरूप हिस्सा 1/8, भगवानदास पुत्र रामस्वरूप हिस्सा 1/8, सुरेन्द्र पुत्र रामस्वरूप हिस्सा 1/8, गुड्डो पुत्री रामस्वरूप हिस्सा 1/8, शीला पुत्री रामस्वरूप हिस्सा 1/8, सुमन पुत्री रामस्वरूप हिस्सा 1/8, सीता पुत्री रामस्वरूप हिस्सा 1/8 खसरा नम्बर 18 रकबा 0.52 है0, 19 रकबा 0.11 है0, 20 रकबा 0.62 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.25 है0 सा0देह0 [illegible] प्रस्तुत की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 17:07:45 IST
Reason: SelfAttested

बहस विद्वान अधिवक्ता [illegible] पर सुनी गई। वकील वादी द्वारा तहसीलदार तलावडा से प्राप्त विभाजन स्कीम अनुसार वादी का हिस्सा विभाजित किया जाकर वादी का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

सहायक कलेक्टर एवं [illegible] मजिस्ट्रेट [illegible] (स0मा0)

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं

उसमे प्रस्तुत विभाजन स्कीम का अवलोकन किया गया। चूंकि दावा विभाजन का है एवं वादी विभाजन स्कीम अनुसार विभाजन करवाये जाने पर सहमत है। इसलिय वादी का दावा मुताबिक विभाजन स्कीम अनुसार डिक्री किया जाना प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण का दावा डिक्री किया जाकर तहसीलदार तलावडा को आदेशित किया जाता है किः-

1. महेन्द्र पुत्र प्रकाश हरिजन खसरा नम्बर 18 रकबा 0.84 है0 जाति हरिजन निवासी पदमपुरा तहसील टोडाभीम सा0देह0 खातेदार के नाम दर्ज की जावे।
2. उम्मेदलाल पुत्र झुत्याराम कोली खसरा नम्बर 18 रकबा 0.84 है0 जाति कोली निवासी ढहरिया तहसील नादौती सा0देह0 खातेदार के नाम दर्ज की जावे।
3. कमलादेवी पत्नि रामस्वरूप हिस्सा 1/8, बनवारी पुत्र रामस्वरूप हिस्सा 1/8, भगवानदास पुत्र रामस्वरूप हिस्सा 1/8, सुरेन्द्र पुत्र रामस्वरूप हिस्सा 1/8, गुड्डो पुत्री रामस्वरूप हिस्सा 1/8, शीला पुत्री रामस्वरूप हिस्सा 1/8, सुमन पुत्री रामस्वरूप हिस्सा 1/8, सीता पुत्री रामस्वरूप हिस्सा 1/8 खसरा नम्बर 18 रकबा 0.52 है0, 19 रकबा 0.11 है0, 20 रकबा 0.62 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.25 है0 सा0देह0 खातेदार प्रस्तुत की है। इसी अनुसार समस्त राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज किया जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का जूज रहेगी। पर्चा डिक्री पृथक से जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.4.26 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(बृजेन्द्र मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स0मा0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 17:07:45 IST
Reason: SelfAttested

Judi/Civil
Part IV-10

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत — सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास — बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

उनवान

1. उम्मेद लाल पुत्र झूत्याराम जाति कोली निवासी ग्राम ढहरिया तहसील नादौती जिला करौली।
2. महेन्द्र पुत्र प्रकाश जाति हरिजन निवासी पदमपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली।

--वादीगण--

बनाम

1. बनवारी पुत्र रामस्वरूप जाति कोली निवासी वाढ टटवाडा तहसील तलावडा
2. भगवानदास पुत्र रामस्वरूप जाति कोली निवासी वाढ टटवाडा तहसील तलावडा
3. सुरेन्द्र पुत्र रामस्वरूप जाति कोली निवासी वाढ टटवाडा तहसील तलावडा
4. गुडडो पुत्री रामस्वरूप जाति कोली निवासी वाढ टटवाडा तहसील तलावडा
5. शीला पुत्री रामस्वरूप जाति कोली निवासी वाढ टटवाडा तहसील तलावडा
6. सुमन पुत्री रामस्वरूप जाति कोली निवासी वाढ टटवाडा तहसील तलावडा
7. सीता पुत्री रामस्वरूप जाति कोली निवासी वाढ टटवाडा तहसील तलावडा
8. कमला देवी पत्नि रामस्वरूप जाति कोली निवासी वाढ टटवाडा तहसील तलावडा
9. लैण्डहोल्डर जरिये तहसीलदार तहसील तलावडा

--प्रतिवादीगण--

दावा बाबत् विभाजन भूमि व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 07/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री सतीश कुमार शर्मा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री छुट्टनलाल बैरवा एडवोकेट, मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीया का वाद डिक्री [illegible] कर तहसीलदार तलावडा को हुक्म दिया जाता है कि:-

1. महेन्द्र पुत्र प्रकाश हरिजन खसरा नम्बर 18 रकबा 0.84 है0 जाति हरिजन निवासी पदमपुरा तहसील टोडाभीम सा0देह0 खातेदार के नाम दर्ज की जावे।
2. उम्मेदलाल पुत्र झुत्याराम कोली खसरा नम्बर 18 रकबा 0.84 है0 जाति कोली निवासी ढहरिया तहसील नादौती सा0देह0 खातेदार के नाम दर्ज की

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 17:07:45 IST
Reason: SelfAttested

जावे।

3. कमलादेवी पत्नि रामस्वरूप हिस्सा 1/8, बनवारी पुत्र रामस्वरूप हिस्सा 1/8, भगवानदास पुत्र रामस्वरूप हिस्सा 1/8, सुरेन्द्र पुत्र रामस्वरूप हिस्सा 1/8, गुड्डो पुत्री रामस्वरूप हिस्सा 1/8, शीला पुत्री रामस्वरूप हिस्सा 1/8, सुमन पुत्री रामस्वरूप हिस्सा 1/8, सीता पुत्री रामस्वरूप हिस्सा 1/8 खसरा नम्बर 18 रकबा 0.52 है0, 19 रकबा 0.11 है0, 20 रकबा 0.62 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.25 है0 सा0देह0 खातेदार प्रस्तुत की है। इसी अनुसार समस्त राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का जूज रहेगी। पर्चा लिखा आज दिनांक 29.4.26 को जारी किया गया।

(बृजेन्द्र मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 17:07:45 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी